निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
18/25	27.05.2025	18.02.26

सुरेश चन्द पुत्र प्रभाती बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, तहसील तलावडा
नरेश पुत्र प्रभाती बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, तहसील तलावडा
विनोद कुमार पुत्र प्रभाती बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, तहसील तलावडा
राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभाती बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, तहसील तलावडा
रामकन्या पत्नी प्रभाती बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, तहसील तलावडा
वीना पुत्री प्रभाती बैरवा पत्नी शेरसिंह निवासी ग्राम फैलीपुरा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली।
अनीता पुत्री प्रभाती पत्नी राजूलाल निवासी ग्राम चौडक्या का कलॉ, तहसील सपोटरा, हाल ग्राम बूचोलाई, तहसील तलावडा।

वादीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र किशन्या बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।
2. किरोडी पुत्र किशन्या बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।
3. गुरूदयाल पुत्र जैन्या बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।
4. रामजीलाल पुत्र जैन्या बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।
5. रामसहाय पुत्र जैन्या बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।
6. रामप्रसाद पुत्र जैन्या बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।
7. हेमराज पुत्र गुरूदयाल बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।

गुड्डी पत्नी हेमराज बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।

चन्द्रप्रकाश पुत्र रामसहाय बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।

सोनू पुत्र रामसहाय बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।

इन्द्रा देवी पत्नी रामसहाय बैरवा निवासी ग्राम टटवाडा, ढाणी नागाडी, तहसील तलावडा।

स्टैट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, हाल भारतीय स्टैट बैक जरिये ाख प्रबन्धक शाखा गंगापुर सिटी।

लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील तलावडा। **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् इस्तकरार हक–खातेदारी विभाजन, दुरूस्ती इन्द्राज व

स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 207 राज0टी0एक्ट

पस्थितः– श्री छुट्टन लाल एडवोकेट वादीगण की और से

श्री अवधेश त्रिवेदी एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की और से

निर्णय

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 464 रकवा 0.39 है0, 594 रकवा 1.09 है0, खसरा नम्बर 673 रकवा 0.74 है0, खसरा नम्बर 674 रकवा 0.81 है0 व खसरा नम्बर 751 रकवा 0.19 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 3.22 है0 वाके ग्राम टटवाडा स्थित है। उक्त कृषि भूमि खाता संख्या 49 का किसी भी सक्षम अधिकारी से मीट्स एण्ड बाउन्डस व सरस–नरस से विभाजन नहीं हुआ है। उक्त भूमि मे वादीगण का संयुक्त रूप से 1/21–1/21 हिस्से के खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/6–1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का 1/12 – 1/12 हिस्सा दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 पूर्वजों द्वारा किए गए आपसी बाह्मी बंटवारे अनुसार अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज का त करते चले आ रहे है, और वर्तमान मे भी अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। भूमि खसरा नम्बर 594 रकवा 1.09 है0 के पूर्वी व

पश्चिमी हिस्से पर वादीगण संख्या 1 ता 7 का संयुक्त रूप से व मध्य में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त वाके है। तथा खसरा नम्बर 673 रकवा 0.74 है0 के आधे हिस्से मुख्य सडक ढाणी नागाडी की ओर पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का व आधे हिस्से रेल्वे लाईन के पास पर वादीगण संख्या 1 ता 7 का कब्जा काश्त है। तथा खसरा नम्बर 674 रकवा 0.81 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 751 रकवा 0.19 है0 पूर्ण पर प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का कब्जा काश्त है भूमि खसरा नम्बर 464 रकवा 0.39 हैक्ट पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। जो कृषि कार्य के उपयोग में नही आ रही थी। इसलिए वादीगण के पूर्वज पिता परभाती व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता किशन्या तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पिता जैन्या द्वारा दीगर व्यक्ति को सामूहिक रूप से कई वर्षों पूर्व जरिए विक्रय पत्र विक्रय कर दी गई। उक्त भूमि से वादीगण संख्या 1 ता 7 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 का वर्तमान में कोई विवाद शेष नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 594 रकवा 1.09 है0 व भूमि खसरा नम्बर 673 रकवा 0.74 है0 मैं वादीगण संख्या 1 ता 7 के पूर्वज परभाती व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पूर्वज किशन्या व जैन्या द्वारा सामूहिक रूप से समान खर्चे पर निर्मित कुंए स्थित है जिसमें वादीगणों का भी समान हिस्सा है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के बाह्मी बंटवारे हिस्से में उक्त कुंओं का आ जाने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा दोनों कुंओ पर कब्जा कर रखा है और वादीगण को अपनी कृषि भूमि में कई वर्षों से सिचांई नहीं करने देते है जिसके कारण वादीगणों को अपने हिस्से की भूमि की सिंचाई दूसरे पडौसी का तकारों से पैसा देकर करनी पड रही तथा विरोध करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 व 7 ता 11 सामूहिक रूप से एकराय होकर मारने-पीटने पर आमादा हो जाते है और कई बार मारपीट भी कर दी गई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा मुताबिक बाह्मी बटवांरा मुख्य सडक ढाणी नागाडी पर होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जबरन बिना राज्य सरकार की अनुमति के पक्का आवासीय मकान बना दिया है, ओर शेष मुख्य सडक के हिस्से पर भी ढाणी नागाडी के दीगर व्यक्तियो को भूखण्ड काटकर बेचने पर आमादा है, ओर बिना तकासमा कराये ही जबरन कृषि भूमि को अकृषि भूमि मे परिवर्तित करने

पर आमादा है। जो वादीगण की हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। इस कारण वादीगणो को दावा बावत भूमि का विभाजन व इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना लाजमी हुआ है। दावा भूमि विभाजन का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 13 को पक्षकार बनाया गया है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खसरा नम्बर 594 रकवा 1.09 है0, खसरा नम्बर 673 रकवा 0.74 है0, खसरा नम्बर 674 रकवा 0.81 है0, खसरा नम्बर 751 रकवा 0.19 है0 कुल किता कुल रकवा 2.43 है0 स्थित ग्राम टटवाडा, तहसील तलावडा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मीटस् एण्ड बाउण्डस् से व सरस-नरस के आधार पर विभाजन किया जाकर अगल-अलग खाते कायम किये जावे। तथा वादीगण को संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर 1/21-1/21 वॉ हिस्सा और प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का एक ही स्थान पर 1/6-1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 का एक ही स्थान पर 1/12-1/12 हिस्सा कायम किया जाकर अलग-अलग खाते कायम किये जावे। इसी अनुसार नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक-पृथक इन्द्राज किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का तलव किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की ओर से श्री अवधेश शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 बावजूद सूचना हाजिर अदालत उपस्थित नही हुये। उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से तहसीलदार प्रतिनिधि उपस्थित हुये।

वाद पत्र के समर्थन मे वादीगण ने जमाबन्दी सम्बत 2072-75 खाता संख्या 49 ग्राम टटवाडा, नक्शाट्रेस, फर्द मौका रिपोर्ट, गिरदावरी सम्बत् 2080 व 2081 प्रस्तुत किये है।

वादीगण का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री किया गया तहसीलदार तलावडा से दिनांक 19/01/2026 को विभाजन स्कीम निम्नानुसार प्राप्त हुई।

अनिता देवी पुत्री प्रभाती हिस्सा 1/7, नरेश पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7, दीना पुत्री प्रभाती हिस्सा 1/7, राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7, रामकन्या पत्नि प्रभाती हिस्सा 1/7, विनोद कुमार पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7, सुरेश चन्द पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7 जाति बैरवा साह देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ

कलेक्टर
... मजिस्ट्रेट
... सिटी (स०मा०)

इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, को खसरा नम्बर 673/2 रकबा 0.3367 है0, 594/1 रकबा 0.50 है0, 594/3 रकबा 0.0450 है0, 751/1 रकबा 0.0617 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.9434 है0।

किरोडी पुत्र किशन्या हिस्सा 1/2, गिर्राज पुत्र किशन्या हिस्सा 1/2 जाति बैरवा साह देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी को खसरा नम्बर 673/1 रकबा 0.3983 है0, 594/2 रकबा 0.50 है0, 594/4 रकबा 0.0450 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9433 है0।

गुरूदयाल पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, रामजीलाल पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, रामप्रसाद पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, रामसहाय पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, साह देह खातेदार को खसरा नम्बर 674 रकबा 0.81 है0, 673/3 रकबा 0.0050 है0, 751/2 रकबा 0.1283 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9433 है0। प्रस्तुत की है।

बहस विद्ववान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो एवं प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूकि दावा विभाजन का है एवं उभय पक्षकारान विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिये वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है कि:-

अनिता देवी पुत्री प्रभाती हिस्सा 1/7, नरेश पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7, दीना पुत्री प्रभाती हिस्सा 1/7, राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7, रामकन्या पत्नि प्रभाती हिस्सा 1/7, विनोद कुमार पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7, सुरेश चन्द पुत्र प्रभाती हिस्सा 1/7 जाति बैरवा साह देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, को खसरा नम्बर 673/2 रकबा 0.3367 है0, 594/1 रकबा 0.50 है0, 594/3 रकबा 0.0450 है0, 751/1 रकबा 0.0617

कलेक्टर
... मजिस्ट्रेट
... सिटी (स0मा0)

है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.9434 है0 साह0 देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

किरोडी पुत्र किशन्या हिस्सा 1/2, गिर्राज पुत्र किशन्या हिस्सा 1/2 जाति बैरवा साह देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी को खसरा नम्बर 673/1 रकबा 0.3983 है0, 594/2 रकबा 0.50 है0, 594/4 रकबा 0.0450 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9433 है0 साह0 देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे।

गुरूदयाल पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, रामजीलाल पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, रामप्रसाद पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, रामसहाय पुत्र जैन्या हिस्सा 1/4, साह देह खातेदार को खसरा नम्बर 674 रकबा 0.81 है0, 673/3 रकबा 0.0050 है0, 751/2 रकबा 0.1283 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9433 है0 साह0 देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे विभाजन स्कीम निर्णय का जुज रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.2.16 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी